न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 54/2016

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. खींयाराम पुत्र श्री भूराराम 2. जगदीश पुत्र श्री भूराराम 3. चोलाराम पुत्र श्री भूराराम 4. लिछमणराम पुत्र श्री भूराराम 5. डालूराम पुत्र श्री भूराराम जातियान जाट निवासीगण-ग्राम नान्दियाखुर्द तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2016 द्वारा नायब तहसीलदार बावड़ी प्रकरण संख्या 22/2016 अनवान सरकार बनाम खींयाराम में पारित किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 11.09.2019

अपीलान्ट खींयाराम पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम नान्दियाखुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर के विरूद्ध नायब तहसीलदार, बावड़ी द्वारा दिनांक 23.06.2016 को प्रकरण संख्या 22/2016 बअनवान सरकार बनाम खींयाराम में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 311 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम नान्दियाखुर्द में आई हुई है जिस पर अपीलान्टस का वक्ता सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 311 का रकबा मौके पर अधिक आया हुआ है लेकिन वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूमि खसरा नम्बर 311 का रकबा राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हो गया एवं भूमि खसरा नम्बर 311 के चिपते खसरा नम्बर 307 गोचर भूमि का

रकबा राजस्व रेकर्ड में अधिक दर्ज हो गया, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 307 की भूमि कम आई हुई है। हल्का पटवारी नान्दियाखुर्द ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार बावड़ी को प्रस्तुत की कि खींयाराम पुत्र भूराराम जाट वगैरह राजस्व ग्राम नान्दियाखुर्द की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 307 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर पर कृषि वर्ष 2073 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार बावड़ी ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्टस को तलब किया। जिस पर अपीलान्ट संख्या 02 जगदीश ने उपस्थित होकर जवाब के लिए समय दिये जाने का निवेदन करने पर तहसील के लिपिक ने अपीलान्ट की उपस्थिति के लिए आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये तथा नायब तहसीलदार बावड़ी ने मौका देखने का कहा किन्तु वे मौके पर नहीं आये। सरपंच ग्राम पंचायत नान्दियाखुर्द ने दिनांक 26.09.2016 को अपीलान्टस को बताया कि नायब तहसीलदार बावड़ी ने आपके विरूद्ध दिनाक 23.06.2016 को बेदखली का आदेश पारित किया है। अपीलान्टस ने दिनांक 28.09.2016 को तहसीलदार से नायब तहसीलदार बावड़ी के आदेश दिनांक 213.06.2019 की प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलान्टस को उक्त आदेश की जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि करने, नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एवं बिना मौका निरीक्षण व जांच किये जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित करने, अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित एवं राजनैतिक द्वेष भावना से दबाव में आकर पारित करने, आबादी क्षेत्र की राजकीय भूमियां ग्राम पंचायत के अधीन होने के बावजूद उस पर अतिक्रमण की कार्यवाही करने से पूर्व ग्राम पंचायत को नोटिस दिये बिना कार्यवाही करने, अतिक्रमित भूमि पर कोई निर्माण किया हुआ है या फसल खड़ी हो तो बेदखली से पूर्व अतिक्रमी को निर्माण हटाने एवं फसल अवेरने का उचित समय दिये बिना आदेश पारित करने, अपीलान्टस का इस भूमि पर पुराना कब्जा होने से नायब तहसीलदार द्वारा इस भूमि का अपीलान्टस के लिए नियमन पर विचार किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने, नायब तहसीलदार द्वारा छापे हुए फार्म में खानापूति कर बिना निर्णय की तारीख अंकित किये अपीलाधीन आदेश पारित करने, नायब तहसीलदार द्वारा अपील अधिकारिता का विधि अनुसार उपयोग नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अनियमितता तथा गम्भीर अवैधता बरतने, आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 को खारिज किया जाने तथा विवादग्रस्त भूमि अपीलान्टस को नियमन करने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, बावड़ी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा दिनांक 23.06.2016 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 307 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन गोचर पर अपीलान्टस द्वारा अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्टस की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का नान्दियाखुर्द व भू अभिलेख निरीक्षक नान्दियाखुर्द की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्व ग्राम नान्दियाखुर्द के खसरा नम्बर 307 रकबा 8.01 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर पर अपीलान्टस का अनाधिकृत अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अतिक्रमण हटाने व बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है उसमें विचार करने हेतु उचित आधार व तथ्य नहीं होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अत: अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बावड़ी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर